

पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
को पेश हो'र

23/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित,
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त हैं।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26/8/24
को पेश हो'र

26/8/24

पत्रावली पेश हुयी। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2015-16 के परिपेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज-6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, पाटन के पत्रांक भू.अ./2023/396 दिनांक 22.06.2023 द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने बाबत राजस्व ग्राम कांथली पटवार मण्डल मोटूका तहसील पाटन स्थित भूमि खसरा नम्बर 161, 162, 163, 164, 165, 177, 166, 167, 176, 175, 168, 169, 212, 211, 210, 209 में प्रस्ताव तहसीलदार पाटन से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू होना एवं बारहमासी चलना बताया गया है। रास्ते के फोटोग्राफ एवं ग्राम पंचायत मोटूका की एनओसी पेश कर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता की बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। अतः जनहित के आवागमन हेतु मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

सारीख
हुकम

मुकदमा नं

हुकम या कार्यवाही मय इतिशायक जज

नंबर व सारीख अहकाम
जो इस हुकम की
तामील में जारी हुए

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-राजस्व-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, पाटन के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शों में तरमीम की जावे। तहसीलदार, पाटन द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, पाटन को तहरीर जारी की जावे। प्रभावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर



(Handwritten signature)

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)